jktdh; egkfo|ky; /ke'kkyk ftyk dkxMk ¼fgekpy in'k½ d lpkf;dk y[kk dk vd{k.k ,o fujh{k.k ifronuA

vd{k.k vof/k 4@2006 l 3@2010

Hkkx&,d

1 xr vd{k.k ifronu %&

गत अंकेक्षण प्रतिवेदन मे लम्बित पैरों पर की गई कार्यवाही की पड़ताल करने के बाद कुछ पैरों का निपटारा किया गया तथा शेष अनिर्णीत पैरों की स्थिति निम्न प्रकार से है जिनके निपटारे हेतु आवष्यक कार्यवाही की जाए तथा सटिप्पण उत्तर इस विभाग को प्रेषित करना सुनिष्चित किया जाए।

¼d½ vd{k.k ,o fujh{k.k ifronu vof/k 4@86 l 3@90 %&

1	पैरा 4(1) से (6)	अनिर्णीत

¼[k½ vd{k.k ,o fujh{k.k ifronu vof/k 4@90 l 3@92 %&

राजकीय महाविद्यालय धर्मषाला द्वारा उक्त अवधि का अंकेक्षण प्रतिवेदन ऑडिट में उपलब्ध नहीं करवाया गया जिसके कारण अनिर्णीत पैरों पर कार्यवाही नहीं की जा सकी। अतः इस अंकेक्षण प्रतिवेदन को उचित स्त्रोत से प्राप्त करके उसमें सम्मिलित ऑडिट पैरों के निपटारे हेतु अपेक्षित कार्रवाई की जाए व अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दिखाई जाए।

¼x½ vd{k.k ,o fujh{k.k ifronu vof/k 4@92 l 3@98 %&

1	पैरा 4	निर्णीत
2	पैरा 5	अनिर्णीत
3	पैरा 6(क)	अनिर्णीत
4	पैरा 6(ख)	निर्णीत

¼?k½ vd{k.k ,o fujh{k.k ifronu vof/k 4@98 l 3@2001 %&

1	पैरा 3	समाप्त	
2	पैरा 4(क)(ख)	निर्णीत	(नवीनतम वित्तीय स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में दिखाई गई है)
3	पैरा 5	अनिर्णीत	
4	पैरा 6(क)	अनिर्णीत	
5	पैरा 6(ख)	निर्णीत	(पिहले से कार्यवाही हो चुकी है)
6	पैरा 7(क)(ख)(ग)	अनिर्णीत	

Hkkx&nks

2 orieku vid{k.k %&

महाविद्यालय के वर्तमान संचायिका लेखों (04/06 से 03/10) का अंकेक्षण/जांच परीक्षण, जिसके परिणाम अनुवर्ती अनुच्छेदों में दिये गये हैं, सर्व श्री विजय कुमार वालिया(अनुभाग अधिकारी) तथा श्री भवनीश पुरी(आर्टिकल असिस्टैंट) द्वारा दिनांक 9.7.2010 को धर्मषाला में किया गया । माह 6/06 , 10/06, 8/07, 1/08, 6/08, 6/09, व 9/09 के लेखों का चयन विस्तारपूर्वक जांच हेतु किया गया। वर्ष 2008–09 में खाते में किसी भी प्रकार का व्यय न होने के कारण मास चयन नहीं किया गया।

इस अंकेक्षण प्रतिवेदन को महाविद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं के आधार पर तैयार किया गया है। स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग किसी भी प्रकार की गलत सूचना अथवा सूचना जो प्रदान नहीं की गई है, की जिम्मेवारी लेने से इन्कार करता है विभाग की जिम्मेवारी केवल विस्तृत जांच हेतु चयनित मासों तक सीमित है।

3 vid{k.k 'kqYd %&

महाविद्यालय के संचायिका लेखों का अंकेक्षण शुल्क महाविद्यालय की वार्षिक प्राप्तियों (संचायिका + निधियों) के आधार पर राशि ₹28,000 बनता है। जिसका विस्तारपूर्वक विवरण महाविद्यालय के निधियों से सम्बन्धित अंकेक्षण प्रतिवेदन पर दिया गया है तथा जिसे राजकीय कोष में जमा करवाने हेतु महाविद्यालय के प्रधानाचार्य से अंकेक्षण अधियाचना संख्या 70 दिनांक 22.06.10 द्वारा अनुरोध किया गया है।

4 **foÙkh; fLFkfr %&** महाविद्यालय के संचायिका लेखों की वित्तीय स्थिति अंकेक्षण अवधि के दौरान निम्न प्रकार से रही :–

o"kZ	vFk'ks"k	ikofr;ka	C;kt	dqy ;ksx	O;;	vUr'ks"k
2006–07	9,18,658.00	83,340.00	15,468.00	10,17,466.00	40,020.00	9,77,446.00

2007–08	9,77,446.00	72,080.00	20,396.00	10,69,922.00	36,380.00	10,33,542.00
2008–09	10,33,542.00	70,280.00	33,666.00	11,37,488.00	–	11,37,488.00
2009–10	11,37,488.00	72,300.00	30,926.00	12,40,714.00	39,470.00	12,11,244.00

vUr'k"k dk fooj.k %&

दिनांक 31.03.10 को स्टेट बैंक ऑफ पटियाला धर्मषाला के बचत खाता संख्या 55096944507 में जमा राशि	2,65,874.00
दिनांक 31.03.10 को पंजाब नैषनल बैंक धर्मषाला के सावधि जमा खाता संख्या RDW-704915 के अर्न्तगत निवेषित राशि (परिपक्वता मुल्य :– ₹8,76,480 परिपक्वता तिथि 20.9.10)	6,42,798.00
दिनांक 31.03.10 को स्टेट बैंक ऑफ पटियाला धर्मषाला के सावधि जमा खाता संख्या STDR/8-164611 के अर्न्तगत निवेषित राशि (परिपक्वता मूल्य :– ₹3,23,127.00 परिपक्वता तिथि 14.06.10)	3,02,572.00
dqy ;kx	₹12]11]244-00

5 vof/k 2@2010 ls 12@2005 rd dh jksdM+ cgh dh tkap iMrky gsrq vads{k.k esa iLrqr u djuk %&

वर्तमान अंकेक्षण के दौरान 2/2001 से 12/05 तक की रोकड़ बही को अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया । अतः 31.03.06 के अन्तषेष की राशि ₹9,18,658.00 (रोकड़ बही एंव बचत बैंक खातों अनुसार) को सही मान कर वर्ष 2006–07 से 2009–10 तक की वित्तीय स्थिति को तैयार किया गया है जिसकी रोकड़ बही महाविद्यालय द्वारा प्रस्तुत की गई है। अतः उपरोक्त अवधि(2/2001 से 12/05) तक की रोकड़ बही को कार्यालय अभिलेख में ढुंढ कर आगामी अंकेक्षण के दौरान जांच पड़ताल हेतु प्रस्तुत किया जाए। अन्यथा अपेक्षित अवधि की रोकड़ बही का पुननिर्माण करके आगामी अंकेक्षण में आवष्यक जांच हेतु प्रस्तुत करें।

6 lapkf;dk [kkrs esa tek fuf"Ø; [kkrksa dh jkf'k dks Hkou fuekZ.k fuf/k esa gLrkarfjr u djuk %&

संचायिका से सम्बन्धित नियमों के अनुसार कोई विद्यार्थी यदि संचायिका खाते में जमा राशि को महाविद्यालय छोड़ने पर दो वर्ष तक दावा न करे तो यह राशि कालातीत होने के कारण महाविद्यालय के भवन निर्माण निधि खातों में हस्तांतरित की जानी आपेक्षित है।

लेकिन जांच परीक्षण के दौरान पाया गया कि महाविद्यालय के संचायिका खाते में ऐसे कई खाते हैं जो गत कई वर्षों से बन्द पड़े हैं तथा जिनमें सम्बन्धित खाताधारीयों को महाविद्यालय छोड़े दो वर्ष से अधिक समय हो गया है। अतः महाविद्यालय प्रषासन को यह परामर्ष दिया जाता है कि इन कालातीत खातों में जमा

राशियों की विभागीय स्तर पर गणना करके नियमानुसार इनका हस्तांतरण भवन निर्माण निधि खाते में कर दिया जाए तथा अनुपालना से यथासमय इस विभाग को भी अवगत किया जाए।

7 y?k vkifr foojf.kdk %& यह अलग से जारी नहीं की गई है।

8 fu"d"k %& संचायिका लेखों में सुधार की आवष्यकता है।

उप निदेषक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेष,षिमला–171009.

पृष्ठांकन संख्या :फिन(एल0ए0)(संचायिका)(XI)(ii)126 / 90 दिनांक, षिमला–171009

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवष्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है

i:thdr 1. प्रधानाचार्य,राजकीय महाविद्यालय धर्मषाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेष को इस आषय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस संचायिका अंकेक्षण प्रतिवेदन पर की गई कार्यवाही का सटिप्पण उत्तर इस विभाग को षीघ्र भेजें ।

2. निदेषक, शिक्षा विभाग, हि0प्र0 षिमला–171001.
3. निदेशक लघु बचत हिमाचल प्रदेश षिमला–2 को उनके पत्र संख्या फिन(2)सी(ए)एस0एस–6 / 84 दिनांक 9.9.86 व पत्र संख्या 2(ए)एसएस–6 / 84 दिनांक 28.11.1986 के सन्दर्भ में।
4. जिलाधीश कांगड़ा स्थित धर्मषाला, जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेष।

उप निदेषक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेष,षिमला–171009.

¼vuil dekj½